उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 51/2018/590/92-2-18-79जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 23 मार्च,2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद हापुड में वर्ष 2014-15 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री परवेज अख्तर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हापुड के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-182/2017/1890/92-2-2017-79जांच/2015 दिनांक 13-10-2017 एवं तत्संबंधित शुद्धि पत्र सं0-3396/92-2-2017-79जांच/2015 दिनांक 27-12-2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री परवेज अख्तर की दिनांक 28-01-2018 को देहान्त हो जाने के दृष्टिगत वित्त सामान्य अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1713/दस-87-933/98 दिनांक 28-07-1989 में दी गयी व्यवस्था "मृत्यु होने की दशा में संबंधित सरकारी सेवक अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सकता है और चूंकि एक तरफा कार्यवाही विधिक दृष्टि से न्यायोचित नही कही जा सकती। अत: मृत्यु के दिनांक को ऐसे विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त हुई समझी जायेगी" के क्रम में श्री परवेज अख्तर के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13-10-2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शुद्धि पत्र में निर्गत शुद्धि पत्र दिनांक 27-12-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-51/2018/590/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री परवेज अख्तर, तत्का0 सहायक अभियंता के उत्तराधिकारी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in